International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक परिचय

Mukesh Kumar Meena

सार–

प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर अनेक परिवर्तन समय–समय पर किये जाते रहे है, लेकिन फिर भी यह लगता रहा है हर बार कुछ न कुछ छूट रहा है। नयी राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 में इस अभाव को पूरा करने का प्रयास किया गया है। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा भारत की 'नई राष्ट्रीय षिक्षा नीति–2020' को मंजूरी दी गयी है। 'राष्ट्ीय षिक्षा नीति–2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21वीं सदी की पहली 'षिक्षा नीति' है। राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 के निर्माण की पृष्ठ भूमि, उद्देष्य, प्रमुख बिन्दु, लागू करने के तरीके भविष्य में होने वाले परिणामों इत्यादि पर वैचारिक विष्लेषण– इस शोध पत्र में किया गया है। भारत प्राचीन काल से ही विष्व गुरु रहा है। अपने उच्च स्तरीय षिक्षा जैसे नालंदा, तक्षषिला आदि के बल पर इसकी तूती पूरे विष्व में बोलती थी। देष विदेष के विधार्थी यहाॅं षिक्षा को ग्रहण करने आते थे। षिक्षा स्थल ही वो केन्द्र बिन्दु है, जहाॅं से राष्ट् का निर्माण और विनाष दोनों ही सम्भव हो सकते है। आजादी के बाद से ही षिक्षा को ही हर बार परिवर्तन का माध्यम माना जाने लगा है। षिक्षा में हर बार नये प्रयोग कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है। जितने प्रयोग इस क्षेत्र में होते है, उतने शायद ही किसी अन्य क्षेत्र मे होते होगें।

शब्दकोश : राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, वोकेषनल कोर्स। राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020, समावेषी षिक्षा, जी.ई.आर., प्रमुख सिद्धांत,

प्रस्तावना–

राष्ट्ीय षिक्षा नीति–2020' स्वतंत्र भारत की तीसरी व 21 वीं सदी की पहली 'षिक्षा नीति' है। भारतीय संविधान के नीति निर्देषक तत्व में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तदुपरांत षिक्षा का अधिकार 2009, राइट टू एजूकेषन एक्ट 2009–10 में लागू किया गया, जिसके तहत देष के सरकारी स्कूलों में 6.14 वर्ष की आयु समूहों के बच्चों के निःषुल्क स्कूली षिक्षा का प्रावधान किया गया एवं निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों की एक चौथाई (1/4) संख्या आर्थिक रुप से कमजोर (ँ) बच्चों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

इस हेतु गठित समिति का नाम इसके अध्यक्ष पूर्व इसरो ंप्रमुख डॉ. के. कस्तमरीरंगन के नाम पर 'कस्तूरीरंगन समिति' रखा गया है। षिक्षा किसी भी देष के लिए सभी प्रकार के (सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रषासनिक, बौद्धिक, व्यावसायिक) परिवर्तन का 'टूल' है। जैसे रुका हुआ पानी अपनी उपयोगिता खो देता है वैसे ही वर्ष 1986 से लागू 34 वर्ष पुरानी राष्ट्ीय षिक्षा–नीति 1986 अपनी उपादेयता खो चुकी थी। वर्तमान केन्द्र सरकार ने बदलते परिदृष्य के साथ प्रभावहीन हो रही षिक्षा नीति में बदलाव के लिए वर्ष 2016 से ही नई षिक्षा नीति लागू करने की तैयारियॉं शुरु कर दी थी। वर्ष 2019 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व इसरो के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता मे ंनौ सदस्यीय समिति गठन की जिसने 'राष्ट्ीय षिक्षा नीति – 2020 का ड्ाफ्ट' कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। इसके पष्चात तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे आम भारतीय जनता से भी सुझाव आमंत्रित करने हेतु 'पब्लिक डोमेन में जारी किया। '

स्वतंत्रता के पष्चात् भारत की 'प्रथम षिक्षा नीति–1968' में लागू की गयी जो कि षिक्षाविद डॉ.डी.एस.कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुसंधाओं के आधार पर आधारित थी। वर्ष 1985 में 'षिक्षा की चुनौतियॉं' दस्तावेज

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

की अनुषंसाओंके आधार पर 1986 में भारत सरकार ने दूसरी'नई षिक्षा नीति–1986' लागू की, जिसमें सम्पूर्ण देष के लिए'एक समान शैक्षणिक फ्रेमवर्क'को अपनाया गया था।

प्रमुख बिन्दु– एक नजर में–

1. समिति का गठन जून 2017 में हुआ,मई 2019 में समिति ने नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट को प्रस्तुत किया या एवं 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल द्वारा इसे स्वीकृत किया गया।
2. नई षिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक विघार्थियों के प्रवेष का सकल अनुपात ¼Gross Enrolment Ratio-GER½ को 100: करने का लक्ष्य रखा गया है।
3. इस नीति में अब षिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) के 6: हिस्से के बराबर निवेष का लक्ष्य रखा गया है, अभी यह 4.43: हैं।
4. इसमें 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर ' षिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।
5. इसमें ई–पाठयक्रम को बढावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम ¼NEFT) बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रहीं है।
6. नई षिक्षा नीति में मल्टीपल डिस्प्लिनरी एजुकेषन की बात कही गई है इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान, वाणिज्य के साथ–साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवी–बारहवीं बोर्ड और कॉलेज के ग्रेजुएषन स्तर में चुन सकता है।

साहित्य की समीक्षा–

संक्षेप में पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रासंगिक है। इसमें नयी षिक्षा नीति 2020 और विषेष रुप से संबंधित अध्ययनों पर किये गए कार्यो की एक झलक देखने को मिलती हैं।

हर उच्च षिक्षा संस्थान में गुणवत्ता फ्री–षिप्स और स्कालॉषिप के साथ योग्यता आधारित प्रवेष को प्रोत्साहित करके, संकाय सदस्यों के रुप में योग्यता और अनुसंधान आधारित निरंतर प्रदर्षन और निकायों को विनियमित करने में योग्यता आधारित सिद्ध नेताओं और प्रौघोगिकी–आधारित के माध्यम से प्रगति की स्व–घोषणा के आधार पर द्विवार्षिक मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता की सख्त निगरानी, एनईपी–2020 और 2030 तक अपने उद्देष्यों को पूरा करने की उम्मीद है। संबद्ध कॉलेजों के वर्तमान नामकरण के साथ सभी उच्च षिक्षा संस्थान बहु–अनुषासनात्मक स्वायत्त कॉलेजों के रुप में उनके नाम पर डिग्री देने की शक्ति के साथ विस्तार करेंगे या उनके संबद्ध विष्वविघालयों के घटक कॉलेज बन जाएंगे। एक निष्पक्ष एजेन्सी नेषनल रिसर्च फाउण्डेषन बुनियादी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मानविकी के प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगी। पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोध पत्र 'भारतीय राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 का विष्लेषण इसके उद्देष्यों को प्राप्त करने की दिषा में। ''भारत की राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियॉं बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च षिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढाने के लिए और साथ ही बनाये रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देष्य प्राप्त करने की दिषा में आगे बढ रही है। अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना के शब्दों में, नई षिक्षा नीति 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याषित थी। नई षिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिष की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हे कई षिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। यघपि षिक्षा नीति ने स्कूल और कॉलेज की षिक्षा को समान रुप से प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रुप से नई षिक्षा नीति 2020 और उच्च षिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह पत्र नई षिक्षा नीति की मुख्य विषेषताओं को भी रेखांकित करता है और विष्लेषण करता है कि वे मौजूदा षिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते है। नई षिक्षा नीति में रीयल– टाइम मूल्यांकन प्रणाली और परामर्षी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आष्वस्त रुप से प्रावधान किया गया हैं। यह षिक्षा प्रणाली को पाठयक्रम मे बदलाव के लिए हर दषक में एक नई ष्क्षिा नीति की

अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सषक्त बनाएगा। यह अपने आप मे एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। नई षिक्षा नीति 2020 उच्च षिक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण है। प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन ही इसे वास्तव में पथ–प्रदर्षक बना देगा।

उद्देष्य व विजन– समग्रक विकास का लक्ष्य–

- राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 का उद्देष्य षिक्षा की पहुॅच, समानता, गुणवत्ता युक्त वहनीय षिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विषेष बल दिया गया है।
- इस षिक्षा नीति में 'षिक्षा का अधिकार कानून' (त्ज्म्) का दायरा बढा कर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 3 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा का दायित्व सरकार का हो गया है।
- छात्रों को आवष्यक कौषल एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमी क्षेत्र और इंडस्ट्री में कुषल लोगों की कमी को दूर करते हुए देष को ज्ञान आधारित 'सुपर पॉवर' के रुप में सीापित करना है।
- षिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है।
- भाषाई बाध्यताओं को दूर करने व दिव्यांग छात्रों के लिए षिक्षा को सुगम बनाने के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढावा देने पर बल दिया गया है।

स्कूली षिक्षा में परिवर्तन : नींव मजबूत करने की कवायद–

नई षिक्षा नीति–2020 में वर्तमान में,स्कूली षिक्षा में लागू पद्दति 102 के शैक्षिक मॉडल मे बदलाव किया गया हैं। इसके स्थान पर शैक्षिक पाठयक्रम को 5334 की प्रणाली/प्रारुप आधार पर विभाजित करने की बात कहीं गई है।

इस का फॉर्मेट इस तरह से प्रस्तावित है–

वर्ष अवधि	**चरण**	**आयु**	**कक्षा स्तर**
5 वर्ष	फाउण्डेषन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आंगनबाडी
3 वर्ष	प्राथमिक स्तर	6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राईमरी)
3 वर्ष	माध्यमिक स्तर	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
4 वर्ष	हाई स्कूल एवं हायर सैकेण्डरी स्कूल स्तर	11 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

- पॉंचवी कक्षा तक की षिक्षा को मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम के रुप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही
- मातृभाषा को कक्षा–8 और आगे के षिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- छठी क्लास से वोकेषनल कोर्स शुरु किए जांएगे,इसके लिए इच्छुक छात्रों का छठी कक्षा के बाद से ही इंटर्नषिप करायी जाएगी।
- म्यूजिक, योग, नृत्य, अभिनय कला, हस्तषिल्प आदि को पाठयक्रम में शामिल कर दिया जायेगा।
- अर्ली चाइल्ड हुड' पालिसी के तहत पहले सरकारी स्कूलो में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढना प्रारम्भ करता था। लेकिन अब 3 वर्ष से ही षिक्षा एउए (म्तसल बीपसकीववक ब्ंतम ंदक म्कनबंजपवद) द्वारा प्रारम्भ होगी, ऑगनबाडी के माध्यम से।
- षिक्षा नीति में मिड–डे मील के साथ–साथ सुबह का नाष्ता देने की भी बात कही गई है।

- उच्च षिक्षाः प्रमुख बिदु–युवा शक्ति के विकास का लक्ष्य
- विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्ळब्), अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद (।प्ब्ज्म्) और नेषनल काउसिंल फार टेक्नीकल एजुकेषन (छब्ज्म्) को समाप्त कर रेगुलेटरी (नियामक) बॉडी बनाई जाएगी।
- अभी सेट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी औंर स्टैंडअलोन इंस्टिटयूषंस के लिए अलग–अलग नियम है, नई एजुकेषन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होगें।
- देष भर के सभी उच्च षिक्षा संस्थानों के लिये 'भारतीय उच्च षिक्षा परिषद' (भ्म्ब्) नामक एक एकल निकाय का गठन किया जायेगा।
- पहले जहॉ कक्षा 11 वीं कक्षा से विषय चुन सकते थे अब छात्रों की कक्षा 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की सुविधा होगी।
- कक्षा 9 से 12 तक की पढाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विष्लेषणात्मक क्षमता को बढाकर जीवन में बडे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- 10 वी एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉमेंट में परीक्षा आयोजित की जाएगीं

बहु–स्तरीय प्रवेष एवं निकासी (डनसजपचसम म्दजतल – म्गपज)

वर्तमान में 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारण वष बीच में पढाई छोड देता है, तो उसे डिग्री न मिलने से इस पडाई का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अब इसमें निम्न परिवर्तन हैः

- एक वर्ष की पडाई पर–सटिफिकेट
- छो वर्ष की पडाई पर– डिप्लोमा
- तीन या चार वर्ष पर–डिग्री मिल जाएगी।
- अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोडकर दूसरे कोर्स में एडमिषन लेना चाहता है तो पहले कोर्स से एक खास निष्चित समय तक ब्रक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वांइन कर सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है।
- जो छात्र हायर एजूकेषन में नहीं जाना चाहते उनके लिए अब ग्रेजुएषन डिग्री 4 साल की होगी।
- पोस्ट ग्रेजुएषन कोर्स में एक साल के बाद पढाई छोडने का विकल्प रहेगा तथा पॉच साल का संयुक्त ग्रेजुएट –मास्टर कोर्स लाया जाएगा।
- कॉमन एडमिषन टेस्ट (ब्।ज)– उच्च षिक्षण संस्थानें में प्रवेष के लिए कॉमन एग्जाम होगी परन्तु यह प्रवेष एग्जाम अनिवार्य नहीं है।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिटः इसमें विभिन्न उच्च षिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रुप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलग–अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्षन के आधार पर प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

- देष में शोध और अनुसंधान को बढावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रुप में नेषनल रिसर्च फाउडेषन (छत्थ्) की सीापना की जाएगी।
- शोध उपाधि के लिए एम.फिल.डिग्री पाठयक्रम समाप्त कर दिया गया है।
- आगामी वर्षों मे उच्च षिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड नई सीटें जोडी जायेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीयकरण–** भारत के सर्वश्रेष्ठ विघालयों को अपने परिसर अन्य देषों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही विष्व के चुनिंदा विष्वविधालयों (षीर्ष 100 में) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

षिक्षकों से सम्बंधित सुधार–

- षिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षक परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेषनल मानक तैयार किया जाएगा।
- प्रत्येक षिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास (पेषे से संबंधित आनुधिक विचार,नवाचार और खुद में सुधार करने) के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घण्टों का सतत् व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लें।
- प्रत्येक स्कूल में षिक्षक–छात्रों का अनुपातः 30ः से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रुप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपातः 25ः से कम हो कि व्यवस्था की जायेगी।
- षिक्षकों को गैर षिक्षण गतिविधियों (जटिल प्रषासनिक कार्य, मिड डे मिल) से संबंधित कार्यों में शामिल करने का अनुषंसा की गयी है।
- इस षिक्षा नीति में 'नेषनल मेंटरिंग प्लान लाया जायेगा इससे षिक्षकों का उन्नयन कियाजाएगा।
- षिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्षी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (षैक्षणिक प्रषासन व समय समय पर कार्य प्रदर्षन का आकलन) आधारित होगी।
- गुणवत्ता को बढाने देने के लिए षिक्षामित्र, एडाहाक, गेस्ट टीचर जैसी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर स्कूली उच्च षिक्षा संस्थानो में स्थायी टीचर की नियुक्ति की जायेगी।

निष्कर्ष–

- केंन्द्र व राज्य सरकारों को यह भी सुनिष्चित करना होगा कि जब यह षिक्षा नीति को उचित ढंग से लागू करना है तो पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण षिक्षा सामग्री भी स्थानीय भाषाओ में उपलब्ध करवाना होगी।
- प्राथमिक स्कूलो से लेकर उच्च षिक्षण संस्थानों तक के मंहॅगे व एलीट वर्ग के संस्थानों को भी इस षिक्षा नीति के दायरे में लेना होगा।
- निष्चित ही किसी भी नीति या व्यवस्था में समय–समय पर आवष्यकतानुसार संषोधन,सुधार एवं बदलाव उसके परिणामें को और आर्थिक सार्थक कर देते है।
- षिक्षा एवं षिक्षा प्रणाली किसी भी देष के भविष्य निर्धारण का आईना माना जाता है। षिक्षा समाज विकास की 'बैकबोन' (रीढ) का निर्धारण करती हैं।
- वर्तमान में लागू की गयी षिक्षा नीति–2020 वास्तव में केन्द्र सरकार की दूरदर्षिता ,प्रतिबद्धता एवं समाज के प्रति राज्य के दायित्वो के स्पष्ट दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है।
- परन्तु यह भी उतना ही सच है कि किसी दस्तावेज का अच्छा बन जाना, उसके समस्त सकारात्मक प्रतिफलों को निष्चित नहीं कर देता है। वास्तव मे धरातल स्तर पर उसे लागू करने के तरीके,समयबद्ध परीक्षण,समर्पण एवं उसमें निहित उद्देष्यों को समझने की क्षमता व दक्षता पर निर्भर करेगा की इसकी उपादेयता सिद्ध हो रही है या नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. 'नई षिक्षा नीति से कितना बदलेगी षिक्षा व्यवस्था जानिए क्या कहते है जानकार' आज तक अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2020
2. 'आइए जाने आखिर देष की षिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय षिक्षा नीति की जरुरत क्यों पडी 'दैनिक जागरण' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020

3. नई षिक्षा नीतिः पढाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सबमें होंगे ये बडा बदलाव 'आज तक' अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020
4. 'नई षिक्षा नीति, 2020ः प्रमुख पॉइटस एक नजर में – अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020
5. 'नई षिक्षा नीति आत्म निर्भर भारत की दिषा में बढता कदम'।
6. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
7. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
8. https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New-Education-Policy_2020-final.pdf
9. http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/volume10-sue2(5)/33.pdf
10. Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019,